प्रेस नोट **19/06/2022**

दिनांक 18.06.2022 को थाना चिरैयाकोट क्षेत्रार्न्तगत 04 शातिर व्यक्ति फर्जी विद्युत कर्मचारी बनकर लोगों से रुपये लेने के आरोप में गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी भरी/सादी रसीद, आई0 कार्ड इत्यादि व उपभोक्ता द्वारा दिये गये एक हजार रुपये बरामद–

थाना चिरैयाकोट में दिनांक 18.06.2022 को वादी अर्जुन सिंह कुशवाहा (जे0ई0) 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र चिरैयाकोट द्वारा प्रतिवादी धीरेन्द्र कुमार यादव पुत्र रामशब्द निवासी पिढवल थाना घोसी, नदीम खां पुत्र स्व0 नईम निवासी इटौरा डोरीपुर थाना कोपागंज, पवन कुमार पुत्र स्व0 प्रभुनाथ निवासी फतेहपुर तालनरजा थाना कोपगंज व अमरनाथ पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र निवासी इटौरा डोरीपुर थाना कोपागंज को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी का कर्मचारी बताकर उपभोक्ताओं से मीटर बदलने व बिल ठीक कराने के नाम पर रुपये लेने के आरोप में थाना स्थानीय को सुपुर्द किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 112/22 धारा 34,170,419,420,467,468,471 भादवि में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

01 किग्रा 400 ग्राम अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 19.06.2022 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मुंशीपुरा ओवरब्रीज के नीचे से गोविन्द साहनी पुत्र सुदामा साहनी निवासी सरवा थाना सरायलखंसी जनपद मऊ के कब्जे से 01 किग्रा 400 ग्राम नाजायज गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 298/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

चोरी का एक समरसिबल पम्प व तीन पंखों के साथ एक शातिर अभियुकत गिरफ्तार–

आज दिनांक 19.06.2022 को थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ताहिरपुर पुलिया के पास से अरविन्द यादव पुत्र स्व0 प्रसाद यादव निवासी हरपुर बढौना थाना सरायलखंसी जनपद मऊ के कब्जे से महराबंधा प्राथमिक स्कूल से चोरी हुये समरसिबल पम्प व तीन अदद पंखा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पूर्व में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 131/22 धारा 457,380 भादवि0 में धारा 411 भादवि0 की बढोत्तरी कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 19.06.2022 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 307/22 धारा 147,148,332,336,353,427 भादवि0 व धारा 03 लो0सं0क्ष0नि0 अधिनिमय में वांछित अभियुक्त अनिमेष पुत्र सत्येन्द्र यादव निवासी बोझी रामपुर तडवा थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 39 व्यक्ति तथा 03 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 19.06.2022 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा अमला यादव, मीना यादव निवासीगण नेवादा, पृथ्वीराज, दारा राम निवासीगण गालीबपुर कर्मी थाना चिरैयाकोट, पंकज निवासी अहमदपुर असना बुद्धीराम निवासी भीखमपुर थाना चिरैयाकोट, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा जोखन, बबलू निवासीगण इब्राहीमाबाद थाना दोहरीघाट, थाना घोसी पुलिस द्वारा रामकेवल, मनोज निवासीगण वीरैचा थाना घोसी, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा अमित, अरविन्द निवासीगण नसीराबाद खुर्द थाना हलधरपुर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा मो0 रासिद निवासी चेलारामकापुरा, मनोज निवासी मुस्तफाबाद, शशिकान्त निवासी जमीन दाड़ी थाना कोपागंज, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा तरन्नूम, आसफा खातुन, शाहिद जमाल निवासीगण अलीनगर थाना कोतवाली, थाना मधुबन पुलिस द्वारा अजय राय निवासी सूरजपुर थाना दोहरीघाट, रामनिवास, सरिता, अकिंत निवासीगण सुग्गीचौरी, संतोष सोनकर, रीता, सुनिल, संजय, अंजू निवासीगण हसनपुर बहरामपुर, आशुतोष पाण्डेय निवासी खीरीकोठा थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा ललीत यादव, आशीष यादव, वृजेश मौर्य गोविन्द मौर्य निवासीगण सियाबस्ती, अमरेश यादव, रवि यादव निवासीगण देवरिया, अजीजूलरहमान निवासी सरकण्डा थाना मुहम्मदाबाद, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा अजय चौहान निवासी फतेहपुर, सुनिल पाल निवासी भुइलीपुर, शिवाजीत निवासी फतेहपुर, नीरज प्रजापति निवासीगण ताहिरपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी तथा थाना मधुबन पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण रामविलास पुत्र रामलखन निवासी खैरा नासिर, कल्पनाथ पुत्र जयप्रकाश, जयप्रकाश पुत्र गणेश निवासीगण इब्राहीमाबाद थाना मधुबन जनपद मऊ गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

एच्छिक ब्यूरों के प्रयाश से एक दंपति साथ रहने को हुये राजी, 33 मामलों में से 06 मामलों को हुवा निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में पुलिस लाइन में चलने वाले एच्छिक ब्यूरों की आज दिनांक 19.06.2022 की बैठक में सदस्यों के समक्ष कुल 33 मामलें आये जिसमें कुल 06 मामलों का निस्तारण करते हुए अन्य मामलें को आगे की तारिख हेतु स्थगित किया गया। इस दौरान चन्दन और सिन्धू चौहान के मामलें में सदस्यों के प्रयाश से सुलह होने पर दोनो साथ साथ रहने को राजी हो गयें। अन्य तीन मामलों में विपक्षी के विरूद्ध एफआईआर का निर्णय लिया गया तथा अन्य दो मामलें में स्वयं पक्षकारों के गैरहाजिरी पर फाइल बन्द कर दी गयी। ब्यूरों की बैठक में उ0नि0 आत्मा सिंह, सर्वेश दुबे, अर्चना उपाध्याय, इब्राहीम सेवक, मौलवी अरशद तथा म0आ0 पुष्पलता उपस्थित रही।